तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एल0आर0/4366/2006/भरतपुर सरकार बनाम दुलीचन्द	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	

एकल–पीठ

श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री श्रीनिवास बेनीवाल, अति0 राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी।
(2) अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः04.02.2026

यह निगरानी धारा 84 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर की अपील सं0 05/2003 में पारित निर्णय दिनांक 11–11–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसमें अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर, डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2003 व नायब तहसीलदार, डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–2003 को निरस्त करते हुए प्रकरण अति0 जिला कलक्टर, डीग को प्रतिप्रेषित किया गया है।

2– अति0 राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी की निगरानी पर एकपक्षीय बहस सुनी गयी।

3– विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये हैं कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलीय न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया है कि अप्रार्थी आराजी खसरा नं0 1397 चारागाह भूमि पर ट्यूबवेल लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहा है तथा पानी अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 4366 / 2006 / भरतपुर** **सरकार बनाम दुलीचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	व्यक्तियों को किराये पर दे रहा है। जबकि विवादित आराजी किस्म से चारागाह भूमि है जो कि सार्वजनिक हित की आराजी है। इस पर अप्रार्थी को कानूनन कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादग्रस्त आराजी में ग्रामवासियों का हित निहित है। जिस पर अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण करने से गाँव के निवासियों में काफी रोष व्याप्त है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को मौके से बेदखल करने का सही आदेश पारित किया है। इसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा अविधिक आदेश पारित किया गया है जो काबिले निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजी बिना किस्म परिवर्तित करवाये अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने एवं पम्प सेट लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1979 के तहत विधिक रूप से नियमन/आवंटन नहीं की जा सकती है परन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा अविधिक निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। इसके साथ ही दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य किया जाकर दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। अतः प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–11–2004 को निरस्त किया जाकर अति0 जिला कलक्टर, डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2003 व नायब तहसीलदार, डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–2003 यथावत् रखे जावें।		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 4366 / 2006 / भरतपुर** **सरकार बनाम दुलीचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	4– हमने विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता की सुनी गयी एकपक्षीय बहस पर मनन करते हुए पत्रावली का आद्योपान्त अध्ययन एवं परिशीलन किया। 5– सर्वप्रथम हम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर उसमें कथन किये है कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय की जानकारी होने पर जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा निर्णय का विधिक परीक्षण करवाये जाने के बाद इसे राज्यहित के विपरीत मानते हुए उक्त आदेश के विरूद्ध राजस्व मण्डल में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, डीग को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रभारी अधिकारी द्वारा कार्यग्रहण करने के पश्चात् प्रकरण की जानकारी प्राप्त होने पर विधानसभा डीग का उपचुनाव, चेतना यात्रा एवं प्रशासनिक कार्य में व्यवस्थ रहने एवं मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं थी। मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मिलने पर तहसीलदार द्वारा कागजात लेकर राजस्व मण्डल के राजकीय अभिभाषक से सम्पर्क कर निगरानी तैयार करवायी जाकर बिना किसी विलंब के निगरानी प्रस्तुत की गई है। निगरानी प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है। वह उपरोक्त सद्भाविक कारणों से होने के कारण क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में हुई देरी सद्भाविक एवं संतोषप्रद कारण होने से क्षमा किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित कारण संतोषजनक एवं समुचित होने से निगरानी पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा करके		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 4366 / 2006 / भरतपुर** **सरकार बनाम दुलीचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। 6– पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामवासियों द्वारा तहसीलदार, डीग के यहां प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा आराजी खसरा नं0 1397 रकबा 3 बिस्वा पोखर वाके ग्राम शीशवाडा तहसील डीग पर ट्यूबवेल लगाकर अपने खेतों की सिंचाई की जा रही है एवं मौके पर झोपड़ी डाल रखी है। जिससे गाँव में पीने के पानी के कुंओं में पानी कम हो जाने से पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी। इस कारण उसके विरूद्ध बेदखली की कार्यवाही की जावे। तहसीलदार द्वारा प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर अपने आदेश दिनांक 18–02–2003 को विवादित आराजी से अप्रार्थी को बेदखल कर 36 रूपये शास्ति आरोपित की तथा उसका जप्तशुदा इंजिन को नीलाम करने का आदेश पारित किया। इसके विरूद्ध अपीलांट दुलीचन्द द्वारा एक अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीग के यहाँ प्रस्तुत की। जिसमें उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 03–07–2003 से पटवारी रिपोर्ट में अपीलांट द्वारा सम्वत् 2059 में खसरा नं0 1397 किस्म चारागाह में बोर लगाकर झोपड़ी बनाकर प्याऊ बना लेना अंकित किया है। प्रस्तुत नकल खसरा परिवर्तन से अपीलांट द्वारा गत वर्ष भी अतिक्रमण किया जाना प्रकट है। आराजी चारागाह है जो सार्वजनिक उपयोग की होना पूर्ण रूप से प्रकट है। नायब तहसीलदार, डीग द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–02–2003 में अपीलांट को बेदखल करने व पैनल्टी कायम करने व 91(6) की कार्यवाही करने के जो आदेश पारित किये है वह चारागाह		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 4366 / 2006 / भरतपुर** **सरकार बनाम दुलीचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	सार्वजनिक भूमि के संबंध में विधिसम्मत् रूप से ही किये गये हैं। नायब तहसीलदार द्वारा आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज कर दी गयी। इससे असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा द्वितीय अपील धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के यहाँ प्रस्तुत की। इस पर अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11–11–2004 से अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अति0 जिला कलक्टर, डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2003 व नायब तहसीलदार, डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–2003 निरस्त करते हुए प्रकरण अति0 जिला कलक्टर, डीग को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है कि वह राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने एवं पम्प सेट लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1979 के तहत यदि अपीलांट पात्रता रखता है तो इसको सक्षम आवंटन कमेटी के समक्ष रखवाया जाकर नियमानुसार नियमन/आवंटन की कार्यवाही कराये जाने की व्यवस्था करे। 7– धारा 16(1) के फलस्वरूप चारागाह भूमि पर कई वर्षों तक काश्त करते रहने के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं मिल सकते है जैसा कि 1975 आर0आर0डी0 पेज 271 में अभिनिर्धारित किया गया है कि :– *Mutation Raj. Tenancy Act, Secs. 15 & 16 (i) Khatedari rights, granted by Teh. on ground of long standing possession Mutation, held sanctioned by Teh. who lacked inherent jurisdiction as held in 1972 RRD 334 (L.*		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 4366 / 2006 / भरतपुर** **सरकार बनाम दुलीचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	B.)-Disputed land, entered as pasture in 'Misal Hakiyat' According to Sec. 16 (i) khatedari rights could not accrue on pasture land until converted into Siwai chak cultivable land-Even if pasture land is cultivated for a number of years, it does not give khatedari rights since provisions of Sec. 16 (i) are very clear-Mutation, rejected. 8– विद्वान अति0 राजकीय अधिवक्ता का बहस में मुख्य तर्क है कि अप्रार्थी आराजी खसरा नं0 1397 किस्म चारागाह भूमि पर ट्यूबवेल लगाकर अपने खेतों की सिंचाई कर रहा है तथा पानी अन्य व्यक्तियों को किराये पर भी दे रहा है जबकि विवादित आराजी किस्म से चारागाह भूमि है जो कि सार्वजनिक हित की आराजी है। इस पर अप्रार्थी को विधिक रूप से कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। विवादग्रस्त आराजी में ग्रामवासियों का हित भी निहित है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी को बेदखल करने का आदेश विधिसम्मत् रूप से पारित किया गया है। इसके विरूद्ध अपीलीय न्यायालय द्वारा अविधिक आदेश पारित किया गया है जो काबिले निरस्तनीय है। विवादग्रस्त आराजी को बिना किस्म परिवर्तित करवाये अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने एवं पम्प सेट लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1979 के तहत विधिक रूप से नियमन/आवंटन नहीं की जा सकती है। अपीलीय न्यायालय द्वारा अविधिक निर्णय पारित किया है जो कि निरस्तनीय है। 9– पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी निर्विवाद है कि वादग्रस्त आराजी के खसरा परिवर्तन से अपीलांट द्वारा गत वर्ष भी अतिक्रमण किया जाना पाया गया था। वादग्रस्त आराजी की		

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / एल0आर0 / 4366 / 2006 / भरतपुर** **सरकार बनाम दुलीचन्द**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
	किस्म चारागाह है जो सार्वजनिक उपयोग की होना रिकॉर्ड से स्पष्ट है। नायब तहसीलदार, डीग द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–02–2003 से अपीलांट को बेदखल करने व शास्ति कायम करते हुए विधिसम्मत् रूप से आदेश पारित किये गये थे परन्तु अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अविधिक निर्णय पारित किया है क्योंकि विवादग्रस्त आराजी बिना किस्म परिवर्तित करवाये अप्रार्थी को राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई प्रयोजनार्थ कुआं खोदने एवं पम्प सेट लगाने के लिए भूमि आवंटन) नियम, 1979 के तहत विधिक रूप से नियमन/आवंटन नहीं की जा सकती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, डीग व नायब तहसीलदार, डीग द्वारा पारित आदेश उचित एवं विधिसम्मत् हैं। जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है। 10– अतः उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी **स्वीकार** की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11–11–2004 को निरस्त कर अति0 जिला कलक्टर, डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 03–07–2003 व नायब तहसीलदार, डीग द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–02–2003 यथावत् रखे जाते हैं। 11– पत्रावली फैसल शुमार हो, निर्णय की सूचना कम्प्यूटर के माध्यम से प्रदान की जाकर पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गौरव बजाड़)** **सदस्य**		